ए-12011/02/2021-प्रशा0-Iए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांकः 11 अगस्त, 2021

परिपत्र

विषयः वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन आधार पर आर्थिक अधिकारी के 5 (पांच) पदों को भरना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में ₹4600/- ग्रेड वेतन सहित ₹9300-34800/- के वेतन बैंड-2 [7वें सीपीसी के अनुसार लेवल-7 (₹44,900-₹1,42,400/-)] में **आर्थिक अधिकारी** का पद प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। आर्थिक अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु पात्रता संबंधी शर्तों का विवरण, अनुलग्नक-I में दिया गया है।

2. अनुरोध है कि ऐसे पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें चयन हो जाने पर कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) अनुलग्नक-II में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में, निम्नलिखित दस्तावेजों सहित, इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से **60 दिनों के भीतर** इस विभाग को अग्रेषित कर दिए जाएं:

(i) पिछले पाँच वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों सहित गोपनीय रिपोर्ट डोजियर। यदि गोपनीय रिपोर्ट डोजियर की फोटोकापी भेजी जाए तो उन्हें कम से कम भारत सरकार के अवर सचिव स्तर के अधिकारी से विधिवत सत्यापित करवा कर भेजा जाए।

(ii) सतर्कता/अनुशासनिक अनापत्ति।

(iii) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र।

(iv) पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए बड़ी/छोटी शास्ति दर्शाने वाला विवरण। सूचना "शून्य" होने पर भी विवरण अपेक्षित है।

(v) संवर्ग अनापत्ति।

3. अपूर्ण, उचित माध्यम से न भेजे गए तथा ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के बिना तथा निश्चित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी को एक बार आवेदन करने के पश्चात् बाद में अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(संजीव गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
011-23095060

प्रतिलिपिः

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. वित्तीय सेवाएं विभाग सहित वित्त मंत्रालय के सभी विभाग।
3. निदेशक (एनआईसी)। इस अनुरोध के साथ कि परिपत्र को इंटरनेट तथा "ऑनलाइन नोटिस बोर्ड" पर भी अपलोड कर दिया जाए।
4. एनआईसी, डीओपीटी को इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति परिपत्र को डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करें।
5 रोजगार समाचार पत्र के आगामी अंक में उपर्युक्त रिक्ति परिपत्र को प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ सहायक संपादक (विज्ञापन), रोजगार समाचार पत्र, प्रकाशन प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सातवां तल, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली। बिल को श्री संजीव गुप्ता, अवर सचिव, कमरा सं. 241-ई, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को अग्रेषित कर दिया जाए।
6. अतिरिक्त प्रतियां - 15

1	पदनाम	आर्थिक अधिकारी
2	पदों की संख्या	पांच (5)
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय
4	पद का वेतनमान	₹ 4600/- ग्रेड वेतन सहित ₹9300-34800/- के वेतनबैंड-2 [7वें सीपीसी के अनुसार लेवल-7 (₹44,900-₹1,42,400/-)]
5	प्रतिनियुक्ति की अवधि(आईएसटीसी)/आमेलन	पांच वर्ष
6	पात्रता	**प्रतिनियुक्ति** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) या आमेलनः केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या सांविधिक निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वे अधिकारीः (क) (I) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (II) जिन्होंने वेतन बैंड-2, ₹9300-34800/-, ग्रेड वेतन ₹4200/- अथवा समतुल्य (7वें सीपीसी के अनुसार लेवल-6) पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों- (I) भारत में केंद्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या व्यावहारिक अर्थशास्त्र या व्यवसाय अर्थशास्त्र अथवा इकोनॉमेट्रिक्स में स्नातकोत्तर की उपाधि। (II) भारत के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय और केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन आर्थिक अन्वेषण अथवा अनुसंधान कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति या आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 01 जनवरी, 2006 (जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना बढ़ाई गयी है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गयी सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित दिए गए तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गयी सेवा समझा जाएगा, सिवाए जहाँ एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले ग्रेड में विलय हुआ है और जहाँ यह लाभ केवल उन पदों के लिए दिया जाएगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान, अपग्रेडेशन के बिना, सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। टिप्पण 2: केवल केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन आधार पर लिए जा सकते हैं।

अनुलग्नक-II

जीवन वृत्त प्रोफार्मा

1. नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
2. जन्म तिथि (ईसवी में)	
3.i) सेवा में आने की तारीख	
ii) केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4. शैक्षिक अहर्ताएं	
5. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं **(यदि कोई अर्हता नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष मानी गई है तो उसके लिए प्राधिकार का उल्लेख करें)**	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में किए गए उल्लेख के अनुसार वांछित योग्यताएं/अनुभव	**अधिकारी द्वारा धारित योग्यता/अनुभव**
अनिवार्य	**अनिवार्य**
क) योग्यता भारत में केंद्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या व्यावहारिक अर्थशास्त्र या व्यवसाय अर्थशास्त्र अथवा इकोनॉमेट्रिक्स में स्नातकोत्तर की उपाधि।	क) योग्यता
ख) अनुभव भारत के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय और केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन आर्थिक अन्वेषण अथवा अनुसंधान कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।	ख) अनुभव
वांछनीय	**वांछनीय**
क) योग्यता –	क) योग्यता –
ख) अनुभव –	ख) अनुभव –